

II/विम/रीवा/2018/0761

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, सर्किट कोर्ट

रीवा म0प्र0



Rs. 40/-

विमला प्रसाद पाण्डेय तनय स्व0 देवीधीन पाण्डेय, उम्र 80 साल, पेशा कृषि, सेवानिवृत्त कर्मचारी, निवासी 9/243 सुन्दर नगर बोदाबाग रीवा, म0प्र0

निगरानीकर्ता

बनाम

अजय पाण्डेय तनय श्री सतसूदन पाण्डेय, उम्र 48 वर्ष, पेशा कृषि निवासी बोदा वार्ड कमांक 08, तह0 हुजूर, जिला रीवा म0प्र0

गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी विरुद्ध आदेश दिनांक 22.12.2017 राजस्व निरीक्षक तह0 हुजूर, के प्रकरण कमांक 118अ-12/17-18 अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू-राजस्व संहिता 1959 ई0

श्रीधिवक्ता श्री देवसाल झा
बोदा पेक्षा 30.01.18

कलक ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा
मान्यवर

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

यह कि निगरानीकर्ता के पिता स्व0 देवीदीन पाण्डेय आराजी नं0 645/1, 644 स्थित ग्राम बोदा, के मालिक भूमिस्वामी एवं आधिपत्यधारी थे, उनके द्वारा अपने तीन पुत्र केमला प्रसाद, विमला प्रसाद, व मिथिला प्रसाद का बटवारा किया गया था, जिसमें निगरानीकर्ता को 644 के बगल में 645/1 भूमि प्राप्त हुई थी एवं 644 अन्य भाईयो को प्राप्त थी, आराजी नं0 644 एवं 645/1 एक दूसरे से लगी भूमियो थी जिसमे बटवारे के बाद से निगरानीकर्ता आज तक आराजी नं0 645/1 रकवा 0.154हे. पर काबिज दाखिल चला आ रहा है। आराजी नं0 645 में 2 बटे नं0 थे, जिसमें 645/1 उत्तर तरफ निगरानीकर्ता के पिता व 645/2 दक्षिण तरफ गैरनिगरानीकर्ता के पिता काबिज दाखिल थे व उसी अनुसार गैरनिगरानीकर्ता को भूमि प्राप्त हुई है। किन्तु गैरनिगरानीकर्ता ने आराजी नं0

जुलै

133

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक II/विा०/शेवा/18/0761 जिला शेवा

विमला प्रसाद पाण्डेय विरुद्ध अजय पाण्डेय

| 1 | 2 | 3 |
|----------|---|---|
| 16-1-19- | <p>1. आवेदक की ओर से श्री <u>एजसाल शर्मा</u> अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त <u>इप्पूर</u> तहसील <u>इप्पूर</u> के प्रकरण क्रमांक <u>11.8/अ-12/2017-18</u> में पारित आदेश दिनांक <u>22.12.17</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर <u>शेवा</u> के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक <u>29.03.19</u> को कलेक्टर <u>शेवा</u> के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> | |

सदस्य

के पिता काबिज दायिल थे व उसी अनुसार गैरनिगरानीकर्ता को भूमि प्राप्त हुई है। किन्तु गैरनिगरानीकर्ता ने आराजी नं०